

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1979/कार्तिक 25, 1901
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1979/KARTIKA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1979

सा. का. नि. 627(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 13 के अनुसरण में, तुरन्त प्रभावशील रूप में, यह निदेश करती है कि उक्त आदेश के खण्ड 13 के उपखण्ड (1) के पैरा (ख) के उप-पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, —

(1) हरियाणा और पंजाब राज्यों में विनिर्मित यूरिया, और

- (2) पंजाब राज्य में विनिर्मित कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माताओं द्वारा उन राज्यों में कृषकों को थोक में भी बेचा जा सकेगा :

परन्तु यह तब जब विक्रय के समय प्रत्येक कृषक को विनिर्माताओं द्वारा, वनस्पति पोषकों का न्यूनतम प्रत्याभूत प्रतिशत भार उपदर्शित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए ।

2. यह आदेश 31 जनवरी, 1981 तक प्रवृत्त रहेगा ।

[सं. 10-13/78-एस.टी.यू.]

अ. ज. स. सोढी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 16th November, 1979

G.S.R. 627(E).—In pursuance of clause 13A of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby directs, with immediate effect, that notwithstanding anything contained in sub-paragraph (i) of paragraph (b) of sub-clause (1) of clause 13 of the said Order,—

(i) Urea manufactured in the States of Haryana and Punjab ; and

(ii) Calcium Ammonium Nitrate manufactured in the State of Punjab ; may also be sold in bulk to farmers in those States by the manufacturers of Urea and Calcium Ammonium Nitrate :

Provided that, a certificate indicating the minimum guaranteed percentage by weight of plant nutrients is issued by the manufacturers to each farmer at the time of selling.

2. This Order shall remain in force till the 31st January, 1981.

[No. 10-13/78-STU]

A. J. S. SODHI, Jt. Secy.